

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक


कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 140 वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी 2016 में लिये गये निर्णय अनुसार पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेन्च नई दिल्ली के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं को आदेश जारी करने के दिनांक के पश्चात् ली गई सेवाओं हेतु प्रति प्रकरण रुपये 50,000/- एवं प्रति एम.ए. रुपये 17,500/- पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त शुल्क में अन्य एवं विविध व्यय भी सम्मिलित हैं जिसका भुगतान दो किश्तों में निम्नानुसार किया जावेगा :

(प्रथम किश्त) प्रकरण में बोर्ड की ओर से प्रकरण दायर करने/ बोर्ड का उत्तर प्रस्तुत करने पर

(द्वितीय किश्त) प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर।


(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 390 /स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपि:-

- 1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/विधि शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।